# राजस्थान सरकार
# निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
# राजस्थान, जयपुर

## परिपत्र

क्रमांक :– प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 728-800 H                    दिनांक : 14-02-2018

**विषयः**–राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधन करने के संबन्ध में।

**संदर्भः**– वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन कमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 05.12.2017 एवं समसंख्यक मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 एवं 24-01-2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापनों एवं अधिसूचनाओं के कम में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश पत्र कमांक 1511–80 H दिनांक 08.11.2017, 1991–2065 H दिनांक 07.12.2017 एवं 05–75 H दिनांक 02.01.2018 की निरंतरता में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा हैः–

1. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी संदर्भित ज्ञापन एवं अधिसूचना के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के सिविल पेंशनर्स को ही देय है तथा उक्त लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी किया गया है।
2. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन उनके द्वारा छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत प्राप्त मूल/बेसिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अनुसार किया जाना है। अतिरिक्त पेंशन की राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना है।
3. दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 के मध्य सेवानिवृत/मृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के संबन्ध में प्रथमतः वेतन संशोधन कार्मिक के सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग से प्रकरण प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति जारी की जावेगी। इस संशोधित अधिकृति के आधार पर कार्मिकों को भुगतान कमशः 30%, 30%, 40% के अनुपात में अधिकृति में अंकित दिनांकों को किया जावेगा।
4. पेंशन संशोधन के समय पेंशनर के पी.पी.ओ में वर्णित पारिवारिक पेंशन को भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करनें की कार्यवाही आवश्यक रूप से निम्नानुसार की जावेः–
   **(क)** सेवा में रहते हुए मृत्यु की दशा में जारी पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों (FPPO) में पेंशनर की मृत्यु की आगामी तिथि से 7 वर्ष तक बढ़ी हुई दर (Enhanced Rate) का भुगतान 2.57 से गुणा कर किया जाना है।
   **(ख)** सेवानिवृति के बाद पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान 7 वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक ही किया जाना है। तत्पश्चात इन प्रकरणों में आगे से घटी हुई दर को 2.57 से गुणा कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जावेगा।
5. दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि के ऐरियर का भुगतान 3 किस्तों में 30, 30 एवं 40 के अनुपात में वर्ष 2018 में दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को या उसके बाद किया जावेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु कि स्थिति में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नगद में किया जावेगा।
6. जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन राशि रु 3450/– प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है, इन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन राशि को 2.57 से गुणा करनें पर, जो भी राशि आती है यथा रु 8,867/– आता है तो यह देय होगी, न की न्यूनतम संशोधित पेंशन रू 8850/–। लेकिन यदि संशोधित पेंशन राशि रु 8850/– प्रतिमाह से कम आती है तो न्यूनतम पेंशन राशि रु 8850/– देय होगी।
7. निम्नांकित श्रेणीयों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन का संशोधन उक्त नियमों को तहत देय नहीं किया गया हैः–
   i. ठिकाना पेंशन
   ii. जागीदार पेंशन
   iii. सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, निशक्तजन पेंशन)
   iv. मीसा/डी.आई.आर बन्दियों को पेंशन
   v. स्वतन्त्रता सेनानी पेंशनर्स
   vi. न्यायिक सेवा के अधिकारी

8. निम्नांकित श्रेणियों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन रु 8850/– प्रतिमाह की देयता नहीं बनती है :–

i. आनुपातिक पेंशन (प्रोरेटा पेंशन)
ii. जोधपुर स्टेट के सी.पी.एफ धारकों को देय एक्सग्रेशिया
iii. भूतपूर्व रियासतों के पेंशनर्स को देय एकमुश्त पेंशन/भत्ता
iv. टोंक खानदान के वारिसों को देय पेंशन/भत्ता
v. सैनिक सेवा साथ–साथ राज्य सेवा की पारिवारिक पेंशन (दोहरी पारिवारिक पेंशन)
vi. जिन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन एक से अधिक लोगों में बँटी हुई है।

9. सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित/निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से 4 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2017 से 5 प्रतिशत महँगाई राहत का भुगतान देय होगा।

10. जिन पेंशनर्स का लीगेसी डेटा कोषालय से मिसमैच है, उन प्रकरणों में कोषालय से डेटा मिलाये जाने के पश्चात ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया जावेगा।

(सुरेश कुमार असीवाल)
निदेशक

क्रमांक :– प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 728-800H    दिनांक : 14-02-2018

**निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–**

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बडौदा भवन ,क्षेत्रीय कार्यालय, पांचवी मंजिल ,एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, दुर्गापूरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक,यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड़, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग ,जीवन निधि भवन ,अम्बेडकर सर्किल,भवानी सिंह रोड़ , जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी–4 सेक्टर 2 ,जवाहर नगर, जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र– 6 वां तल फॉर्च्यून हाइट्स सी–94, मुख्य सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल , सी–स्कीम ,जयपुर।
11. उपमहाप्रबंधक ( बैंकिग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस– I) एसबीआई, नेहरू पैलेस टोंक रोड़ जयपुर।
12. सहायक महाप्रबंधक (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी, ..................................................................................
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनके ज्ञापन एफ (12) एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 05.12.2017, 9-12-2017 तथा 24-1-2018 के क्रम में
16. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियो/उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
17. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का. ..............................(राज.)
18. उप निदेशक/एसीपी अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग के वेबसाईट् पर अपलोड करने हेतु
19. संयुक्त /सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग.............................कार्यालय हाजा।
20. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
21. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक